बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

<table>
<thead>
<tr>
<th>जिला</th>
<th>पूर्णियों</th>
</tr>
</thead>
</table>

नोलामी प्रपत्र सखंगा
पूर्णियों

बिहार सरकार

शेखपुरा जिला के सम्पूर्ण बालूघाटों की बंदोबस्ती
हेतु निलामी के कागजात

ई-प्रोक्योरमेंट मोड
https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON

खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार सरकार
न्यू सचिवालय,विकास भवन, बेली रोड, पटना।
**Mines and Geology Department**  
**Government of Bihar**  
**Vikas Bhawan, Baily Road, Patna**

**Notice Inviting E-Auction**  
(Through E-Procurement mode over [https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON](https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON))

(1) ई—नीलामी कार्यवाह:

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. संख्या</th>
<th>गतिविधि</th>
<th>तिथि/समय : अवधि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>ई—नीलामी से पूर्व बैठक/प्रशिक्षण</td>
<td>दिनांक—04.02.2019 समय 11.00 बजे से खान एवं मूलतः विभाग, विकास भवन, न्यू, सरचिवालय, बेली रोड, पटना—800015</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>नीलामी दस्तावेज बिक्री शुल्क जमानक निजी दस्तावेज डाउनलोड प्रामाण्य करने की तिथि</td>
<td><a href="https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON">https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON</a></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>अप्रैल साल एवं ऑक्सन प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन जमा तथा निजी दस्तावेज डाउनलोड करने की अवधि एवं समय</td>
<td><a href="https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON">https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON</a></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>नीलामी हेतु अप्रैल राशि ऑफलाइन मोड की फिल्टर (बैक ड्राफ्ट में) उसकी मूल कार्यालय संबंधित जिला उच्चतम कार्यालय में जमा करने की अवधि एवं समय</td>
<td>अंतिम तिथि—11.02.2019, समय—500 बजे तक</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>तकनीकी निजी दस्तावेजादाताओं की सुची system में संबंधित समाहरण द्वारा upload करने की अवधि एवं समय</td>
<td>दिनांक—14.02.2019</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>ई—नीलामी की लिथिए एव एवं समय</td>
<td>दिनांक—18.02.2019, समय 10.30 बजे पूर्वहृन से <a href="https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON">https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON</a></td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>ई—नीलामी समाधान की लिथिए एवं समय</td>
<td>दिनांक—18.02.2019, समय 12.00 बजे पूर्वहृनत <a href="https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON">https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(2) नीलामी विवरणी:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sl. No.</th>
<th>Auction descriptions of work</th>
<th>Auction Sub Item</th>
<th>Reserve Price</th>
<th>Auction form fee</th>
<th>Auction EMD</th>
<th>Auction Processing Fee</th>
<th>Minimum Increment Value (In INR)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01.</td>
<td>Settlement of sand ghats</td>
<td>Sand</td>
<td>17,71,200</td>
<td>5,000</td>
<td>2,65,680</td>
<td>1180</td>
<td>5000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(3) पंजीकरण की प्रक्रिया:

1. ई—ऑक्सन प्रक्रिया में भाग लेने वाले धारकों को ई—प्रोफिलेट पोर्टल [https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON](https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON) में सर्वाधिक पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। यदि बोलीदाता द्वारा पूर्व में ई—ऑक्सन में भाग लेने हेतु पंजीकरण कराया जा चुका हो, तो पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। संख्या बोलीदाताओं को नीलामी में भाग लेने हेतु एक वैध श्रेणी—2 डिजिटल हस्ताक्षर एवं यूनिट आईडी00 कार्य करना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु संबंधित बोलीदाता के पास एक वैध ई—मेल आईडी00 होना अनिवार्य है।
2. ई–प्रोक्सीग्रेट पोर्टल [https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON](https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON) पर पंजीयन लिंक से द्वारा पंजीयन की पूर्ववर्ती सर्वेक्षण करनी होगी। पंजीयन पर फिल्क करने पर एक ताई ऑनलाइन प्राप्ति में दर्शाये गए विवरण को दर्ज करना होगा। सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने के पश्चात आपको नियंत्रण एवं शर्त को स्वीकार करना होगा तथा विद्यार्थी या दर्ज करने वाले पंजीयन करना होगा। सारे विवरण दर्ज करने के बाद संबंधित दस्तावेज के साथ पंजीयन शुल्क के साथ भुगतान की प्रक्रिया में किया जाना होगा। पंजीयन शुल्क के अनुसार ऑनलाइन से भुगतान किया जायेगा, जो [https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON](https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।

3. इस प्रक्रिया को पूरा करने पर पोर्टल के विवरण पर आपके द्वारा किया गया पंजीयन सफलता पूर्वक किया गया है, इसका संदेश प्राप्त होगा। यदि आवश्यकता हो तो संबंधित प्राप्ति का प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते हैं तथा इसकी वैधता एक वर्ष के लिए होगी।

4. उपयोगकर्ता के उपरांत अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग नीतियों के प्रारूप में भाग लेने के लिए कर सकते हैं।

(4) ई–आवश्यकता की प्रक्रिया

1. नीतियाँ की सूचना में दर्शित समय के पूर्व इक्स्फॉर्म यथावत को [https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON](https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON) पोर्टल में पंजीयन के समय प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करके क्रियान्वयन करना होगा।

2. पोर्टल में विवरण के उपरांत एडिटिवी विडियो में फिल्क करना होगा। इस विडियो में फिल्क के उपरांत आपको ऑनलाइन का चयन करना होगा।

3. आवश्यकता एवं आवेदन शुल्क सफलता पूर्वक जमा करने के पश्चात बोलीदाता बेटेडटून द्वारा प्रमाण किये गये यूजर आईडी का उपयोग करते हुए जॉबमूर्त एवं भुगतान सिस्टम के एक साथ रीक्रिएशन कार्यक्रम अपलोड करेंगे। जो निम्नलिखित है—

4. तकनीकी निर्देश के लिए संचालन कार्यक्रम दिया जाना होगा—
   (क) निर्देश उपकरण के लिए एवं विभिन्न ज्ञानांकित रुपीय एवं प्राप्ति प्रदान करें।
   (ख) निर्देश संसाधन पर मुहर से स्वीकार करें।
   (ग) आवश्यकता दर्शाता उपकरण दर्शाता एवं धारण करें।

5. यूजर की ज्ञानांकित रुपीय एवं प्राप्ति प्रदान करने के लिए तीन वर्षों वर्ष एवं अनुपात दस्तावेज का रूप में उपलब्ध होगा।

6. आवश्यकता दर्शाते उपकरण प्राप्त करने के लिए नीतियों के प्रारूप में भाग लेने के लिए उपलब्ध होगा।

7. अधिक पोर्टल दर्शाता के लिए संकल्पी विडियो के अनुसार बोलीदाता को संबंधित वर्तमान में प्रदर्शित होगा।

8. यूजर का उपपत्त दर्शाता उपकरण प्राप्ति का प्राप्ति करने के पश्चात, तत्परता ई–आवश्यकता की अवधि के पश्चात भी शुल्क दर्शाता में समय बढ़ता की जा सकती है, जो भाग ऑनलाइन प्रदर्शित होगा [https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON](https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON)

9. किसी विशेष उपकरण के लिए नीतियों की प्रक्रिया समय से सेट किया जा सकता है, और स्टार्ट दर्शाता उपकरण की अवधि के पश्चात 10 मिनट तक के लिए वित्तीय स्थिति कर दिया जायेगा।

10. समय बढ़ता के अनुसार ई–मैल दर्शाता में उच्चतम स्तर के लिए उपकरण प्राप्ति के पश्चात, किसी भी उपकरण प्राप्ति का प्रति में रहेगा, किसी भी बोलीदाता का संबंधित विभाग के पश्चात स्वीकार किया जाएगा [https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON](https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON)

11. यूजर का उपपत्त दर्शाता उपकरण प्राप्ति के पश्चात, तत्परता ई–आवश्यकता के पश्चात, संकल्पी विडियो के अनुसार बोलीदाता का संबंधित विभाग के पश्चात, संकल्पी विडियो के अनुसार बोलीदाता के स्तर के पश्चात, किसी भी उपकरण प्राप्ति के पश्चात स्वीकार किया जाएगा।

12. लॉन्ग टेंडर अभ्यास के संदर्भ में है कि ई–नीतियों का संबंधित सभी निर्देश, नियम एवं शर्तों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करें।
13. नीलामी की तिथि एवं समय उपयोज्त तालिका के ई—नीलामी कार्यक्रम में उल्लिखित है। सभी इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ई—नीलामी संबंधित अपने सभी आईटीएम संसाधन एवं उपकरणों की सम्पूर्ण जाँच कर निर्धारित नीलामी कार्यक्रम में भाग लेना सुनिश्चित करें।

14. ई—नीलामी संबंधित विवरण एवं नियम—शास्त्री की जानकारी e-Procurement Portal [https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON] और http://mines.bih.nic.in/ पर जाकर डाउनलोड की जा सकती है।

15. Auction processing fees and Auction Tender Document fee non-refundable होगा। अतः इस संबंध में साथय वापसी से संबंधित किसी भी प्रकार के अनुरोध अथवा आवेदन पर विचार नहीं किया जा पाएगा।

16. सभी इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ई—नीलामी हेतु पंजीकरण करने एवं ऑन-लाइन आवेदन करने से पूर्व नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ ले। आवेदन करने के बाद यदि नई जानकारी प्राप्त हो तो उसे नीलामी कार्यक्रम को तत्काल सम्पूर्ण बदल दिया जा सकता है।

17. ई—नीलामी की प्रक्रिया के तहत बोलीदाताओं द्वारा यदि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा धोखा आपत्ति का प्रयोग किया जाता है तो उस नीलामी प्रक्रिया को तत्काल खारिज किया जा सकता है।

18. इस संबंध में अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें :—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम संख्या</th>
<th>विशय</th>
<th>सम्पर्क स्थान एवं दूरभाष नंबर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>ई—नीलामी कार्यक्रम</td>
<td>आईटीएम मैनेजर, गौरागहनार, 0802218410</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>पंजीकरण की प्रक्रिया</td>
<td>ई—ट्रां सिटी / ई—प्रोक्सीमेंट हैल्टर्डेस्क, सभा तल, पोलिसेंट नं—22, रोड: 0612—2523006, 7542028164</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>तकनीकी सहायता</td>
<td>ई—ट्रां सिटी / ई—प्रोक्सीमेंट हैल्टर्डेस्क, सभा तल, पोलिसेंट नं—22, रोड: 0612—2523006, 7542028164</td>
</tr>
</tbody>
</table>

************************************
जिला खनन कार्यालय,

निविदा दस्तावेज

बंदोबस्ती की अवधि— बंदोबस्ती की तिथि से 31.12.2019 तक बालूघाटों की बंदोबस्ती के लिए शर्त एवं बंधेज़।

प्रत्येक जिला में अवस्थित सभी निदायों को अलग-अलग खंड (stretch) मानते हुए एक इकाई के रूप में बंदोबस्ती की जायेगी।

1. ऑफर (Offer) देने की तिथि एवं समय :—

दिनांक—28.11.2018 के 5:00 बजे अपराह्न तक में इच्छुक व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी से बालूघाटों की उपयुक्त अवधि के लिए बंदोबस्ती हेतु ऑनलाइन इ—प्रोफायरेंट पोर्टल बिहार विभाग के आयोजनात्मक कर्र जाती है।

निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित विवरण है—

(क) निविदा के शर्त एवं बंधेज (अनूलग्नक 1)
(ख) बालूघाटों की विवरणी (अनूलग्नक 2)
(ग) तकनीक निविदा का प्रपत्र (अनूलग्नक 3)

2. तकनीक निविदा के लिए निम्नलिखित कार्यान्वयन दिया जाना होगा :—

i. निविदा के शर्तों एवं बंधों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।

ii. निविदा आवेदन पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।

iii. अर्थव्यवस्था की राशि (निविदादाता के बैंक खाता के माध्यम से बनाया गया बैंक ड्राफ्ट)। साक्षर के रूप में संबंधित बैंक का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

iv. पैन कार्ड की स्वाभिमानित्वता फोटोप्रति।

v. संबंधित जिला से स्वामित्व स्वच्छता प्रमाण—पत्र/अन्य जिलों के मामलों में घोषणा—पत्र/शाफ्त—पत्र।

vi. जीटीएसटी निवंदन प्रमाण—पत्र

vii. जिला पाबंधिकारी/पुलिस अधीक्षक/ अनुमंडल पाबंधिकारी द्वारा निगट आचरण प्रमाण—पत्र।

viii. फर्म/प्राइवेट लिटो कम्पनी के मामले में अदालत लेखा (Balance sheet)।

ix. समिति के मामले में अंकीय रिपोर्ट।

x. Chartered Accountant द्वारा स्वाभाविक विवाद तीन वर्षों के आन्तरिक अकाउंट्स (Profit and loss सारणी) की प्रति।

xi. वित्तीय वर्ष 2016—17 का आयपर काउंटनस।

3. बालूघाटों की बंदोबस्ती हेतु नीलामी के शर्त एवं बंधेज़ :—

बालूघाटों की बंदोबस्ती के लिये नीलामी के शर्त एवं बंधेज, बालूघाटों की विवरणी, निविदा—सह—नीलामी की प्रक्रिया, पात्रता एवं भुगतान की प्रक्रिया का विस्तृत विवाद—ई—प्रोफायरेंट पोर्टल बिहार विभाग के आयोजनात्मक कर्ता है।

https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON
(i) प्रत्येक जिला/समेकित इकाई के लिये अलग-अलग निविदा कागजात का क्रय करना होगा एवं निविदा देनी होगी।

(ii) एक व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी एक से अधिक इकाई के लिये निविदा दे सकते हैं।

(iii) बंदोबस्ती निविदा—सह—नीलामी प्रक्रिया द्वारा की जायेगी।

(iv) निविदा में भाग लेने के लिये निविदाखाता का विपण तीन वर्षों का औसत Annual Turnover सुरक्षित जमा राशि के 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।

4. सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण :-
प्रत्येक बालूपाट इकाई के लिए सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण उक्त इकाई की विगत पंचांग वर्ष की बंदोबस्ती राशियों में 20 प्रतिशत की दृष्टि कर किया जायेगा। जिन जिलों का पूर्व में कभी बंदोबस्ती नहीं हुई है उन जिलों के लिए संबंधित समाहारों के स्तर पर गठित समिति द्वारा सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण किया जाएगा।

5. पात्रता (Eligibility):-
(i) भारत का नागरिक होना।
(ii) पैन कार्ड धारी होना।
(iii) रॉयलटी/जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र का होना।
   • संबंधित जिला से स्वामित्व स्वच्छता प्रमाण—पत्र तथा अन्य जिलों के मामले में घोषणा—पत्र/शास्त्र—पत्र।
   • जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण—पत्र/पूर्व से निबंधित नहीं रहने पर एक माह के अंदर निबंधन करने संबंधी घोषणा—पत्र/शास्त्र—पत्र।
(iv) निविदाखाता का विगत 03(तीन) वर्षों का औसत Annual Turnover सुरक्षित जमा राशि के 35 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।
(v) जिलापदातिकारी/पुलिस अधीक्षक अनुमोदन वर्गीकरण द्वारा निर्धारित आचरण प्रमाण—पत्र।

6. निविदा देने की प्रक्रिया :-
केन्द्र ऑन लाइन पद्धति ई—प्रॉफायरोंटाइटल https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON

7. निविदा के कागजात / राशि
(i) निविदा देने वाले को कुल सुरक्षित जमा राशि का 15 प्रतिशत राशि (Earnest Money) अप्रैल के रूप में online / offline को स्थिति में बैंक इट्रॉफ के रूप में देना होगा। बैंक इट्रॉफ निविदाखाता के खाता के माध्यम से ही निर्मित होना चाहिये।

(ii) निविदाखाता के नाम से आयकर विभाग द्वारा निर्मित पैन कार्ड एवं वित्तीय वर्ष 2016—17 के आयकर रिटर्न की स्वामित्वाधीनता प्रति रिटर्न देनी होगी। सफल निविदाखाता को डाक के पत्ताइत दो इमोलों के अंतर मूल प्रति लाकर सत्यापन कराना होगा।

(iii) संबंधित जिला से स्वामित्व स्वच्छता प्रमाण पत्र — पूर्व में अगर निविदाखाता द्वारा वृहत खनिज का पट्टा अथवा पूर्व में अगर निविदाखाता द्वारा खनिज की बंदोबस्ती/अनुज्ञात लो �钬ी ने अथवा टॉक्केस्ट अनुज्ञात लिया गया हो तो संबंधित जिले के खनिज पदाधिकारी से बातचीत राहित प्रमाण पत्र लेकर जमा करना होगा। यदि निविदाखाता पूर्व में कोई बंदोबस्ती/पट्टा/अनुज्ञात नहीं लिये हों तो इस आशय का घोषणा—पत्र संलग्न करना होगा।
(iv) निविदादाता को वाणिज्य-कर विभाग का स्वचाला प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। यदि वे जी.एस.टी.ओ से निबंधित नहीं हों तो निविदादाता इस आशय का घोषणा-पत्र देंगे कि बंदोबस्ती मिलने के एक माह के अन्तर्गत निबंधन करा लेंगे।

(v) जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्णय आवश्यक प्रमाण-पत्र में निविदादाता का स्थायी एवं अस्थायी पता अंकित होना चाहिये। इसके अलावा यह अंकित होना चाहिये कि उनके विरुद्ध संबंधित अपराध का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। उक्त आवश्यक प्रमाण-पत्र 4 फ़ी-माह की अवधि से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(vi) निविदादाता को Chartered Accountant द्वारा सत्यापित विगत तीन वर्षों के Annual Accounts (Profit & Loss Account सहित) संलग्न करना होगा।

(vii) स्वअभिमानित दो पासपोर्ट साइज के फोटो।

(viii) समस्त के मामले में उप नियम (Bye-laws) और कम्पनी के मामलों में मेमोरेंडम की प्रति दाखिल करनी होगी। साझादारी फर्म के मामले में साझादारी के दस्तावेज की प्रति जमा करनी होगी।

(ix) निविदादाता को महत्वपूर्ण मामलों के आवंटन के साथ निविदा के सभी कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर करके जमा करना होगा।

8. सफल निविदादाता का विषय

(i) जो व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी तकनीकी निविदा में सफल होंगे, सिर्फ उन्हीं निविदादाताओं को नीताली में भाग लेने का मौका दिया जायेगा। नीलामी में जो उच्चतम डाकवक्ता होंगे वही सफल निविदादाता माने जायेंगे।

(ii) उच्चतम निविदादाता / डाकवक्ता द्वारा बंदोबस्ती लेने से इनकार करने पर या निर्धारित अवधि में अपने ओपरेशनालकांत पूर्ण नहीं करने पर उनका अवधारण (earnest money) जब्त कर लिया जायेगा।

(iii) सुरक्षित जमा राशि से कम बोली नीलामी में मान्य नहीं होगा।

(iv) एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में उक्त निविदा को खोले बिना पुनः अल्प निविदा आमंत्रित की जायेगी। दूसरी बार भी यदि और कोई निविदादाता नहीं आते हैं, तो एकल निविदा को सुरक्षित जमा के उपर बोली की स्थिति में समाहतता के अनुसार से निविदा को भेजा जायेगा एवं निविदा का पूर्वानुमोदन प्राप्त होने पर एकल निविदादाता के पक्ष में बालूघाटों का नियमानुसार बंदोबस्ती की जा सकेगी।

9. बालूघाटों की बंदोबस्ती की अवधि तथा बंदोबस्ती छोड़ने संबंधी शर्तें

(i) बालूघाटों की बंदोबस्ती बंदोबस्ती तिथि से 31.12.19 तक के लिये मान्य होगी। द्वितीय वर्ष तथा उसके आगे के वर्ष के पूर्व के वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत के समतुल्य होगी।

(ii) किसी भी परिस्थिति में उक्त अवधि में बंदोबस्ती नहीं छोड़ी जा सकती है और छोड़े जाने की स्थिति में उक्त अवधि की बंदोबस्ती की पूर्ण राशि (सभी करों सहित) वसूलनीय होगी।
10. **बाद की औपचारिकताएँ** :-

(i) सफल डाकवात्ता को समर्पित प्रतिभूति राशि (नीलामी की राशि का 25 प्रतिशत) का भुगतान (अग्रणी की राशि को समाप्तिप्रदान करते हुए) नीलामी की तिथि से तीन दिनों के अन्दर करना होगा। इसके पश्चात ही सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

(ii) सफल डाकवात्र को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात खनन योजना (Mine Plan) RQP से तैयार करकर एवं विभाग द्वारा अनुमोदित करकर एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र स्वामी प्राधिकार से प्राप्त कर दाखिल करना अनिवार्य होगा। बगार अग्रिम पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र के कार्यांश निर्मित नहीं किया जाएगा।

(iii) बंदोबस्ती लेने के बाद विश्वसनीय बालुपंचायतों के लिये बालु के उत्तलन कार्य में संलग्न सभी सहयोगी व्यक्तियों / प्रबंधकों की सूची, पूर्ण पता एवं फोटो के साथ एक माह के अन्दर समाधान को उपलब्ध कराना होगा।

(iv) प्रथम डाकवात्र द्वारा किसी कारणवश बंदोबस्ती लेने में असफल रहने पर उनके द्वारा जमा अग्रणी एवं समूपण राशि जप्त करते हुए दूसरे डाकवात्र को अवसर दिया जायेगा। यदि द्वितीय डाकवात्र भी किसी कारणवश बंदोबस्ती लेने में असफल रहते हैं, तो उनके द्वारा जमा अग्रणी राशि एवं समूपण राशि को जप्त करते हुए पुनः नये सिरे से नीलामी की कार्यवाही की जाएगी।

11. **बंदोबस्ती का एकपात्रनामा**–

चयितित निविदादाता को बंदोबस्ती की स्वीकृति के 60 दिनों के अन्दर बंदोबस्ती का एकपात्रनामा निष्पादित करना होगा। स्टांडर्ड बंदोबस्तत्वरी द्वारा देय होगा।

12. **भुगतान की प्रक्रिया** :-

प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त बंदोबस्ती राशि का भुगतान बंदोबस्तत्वरी द्वारा निम्नलिखित रूप से किया जायेगा :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमांक</th>
<th>किस्त</th>
<th>भुगतान की निर्दिष्ट तिथि</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1     | प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) | क- कार्यांश निर्मित के पूर्व (प्रथम वर्ष हेतु)  
|       |       | ख- 15 दिसंबर (द्वितीय वर्ष तथा उसके पश्चात) |
| 2     | द्वितीय किस्त (25 प्रतिशत) | 15 अगस्त |
| 3     | तत्त्वांश किस्त (25 प्रतिशत) | 15 सितंबर |

प्रतिभूति राशि का समायोजन बंदोबस्ती के अंतिम वर्ष के अंतिम किस्त के साथ किया जा सकता है वर्तमान बंदोबस्ती पर किसी प्रकार का बकाया नहीं हो।

13. **GST का भुगतान** :-

बंदोबस्तत्वरी को जी0एस0टी0 के रूप में राशि वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रकलित दर के अनुसार 3 किस्तों में भुगतान करना होगा। खनन कार्यालय में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।

14. **आयकर/अन्य करों का भुगतान** :-

बंदोबस्तत्वरी को आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमनुसार देय अधिकार का भुगतान आयकर विभाग के प्रवित्ति दर के अनुसार एक मुख्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि
के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन कार्यालय द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।

15. जिला खनिज प्रतिष्ठान
सफल डाकवक्ता को बंदोवस्ती राशि की 2 प्रतिशत राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान को जिला पदाधिकारी के पदनाम से मुगलेश बैंक झारखंड के माध्यम से सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश निर्माण की तिथि के तीन माह के अन्दर जमा करना होगा।

16. बालू के विक्रय दर का निर्धारण ≔
प्रत्येक बालू पैट इकाई की लोक नीलामी के माध्यम से बंदोबस्ती के पूर्व उक्त इकाई से प्रेसित किये जानेवाले बालू का विक्रय दर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जायेगा। नीलामी के परवर्ती बंदोबस्तवारी द्वारा किसी भी परिस्थिति में निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित विक्रय दर से अधिक दर पर बालू का विक्रय संबंधित प्रेषण स्थल (Pit head) से नहीं किया जायेगा।

बालू विक्रय दर निर्धारण की प्रक्रिया ≔

(i) उत्पादन खर्च—  (क) सुरक्षित जमा राशि (100 प्रतिशत)
   नियम 48 A के तहत  (ख) स्थापना खर्च (5% जमा राशि का)
(ii) हैंडलिंग खर्च –
   नियम 48 B के तहत
(iii) ट्रान्सपोर्ट खर्च –
   नियम 48 C के तहत
(iv) अन्य समी कर –
   नियम 48 D के तहत
   (क) वाणिज्य कर– (संबंधित विभाग के प्रभावित दर से)
   (ख) आयकर– (संबंधित विभाग के प्रभावित दर से)
   (ग) मुद्रांक शुल्क – (संबंधित विभाग के प्रभावित दर से)
   (घ) संबंधित शुल्क– (संबंधित विभाग के प्रभावित दर से)
   (ङ)जिला खनिज प्रतिष्ठान को देय राशि-(बंदोबस्ती राशि का 2 प्रतिशत)

इस प्रकार कुल खर्च = उत्पादन खर्च+स्थापना खर्च+अन्य समी कर
मुफ़्फ़ा = कुल खर्च का 10%

विक्रय मूल्य = कुल खर्च + मुफ़्फ़ा

प्रेषण की मात्रा
किसी बालू पैट इकाई के लिए प्रेषण की मात्रा की गणना हेतु उक्त इकाई के गत वर्ष के प्रेषण पर विगत तीन वर्षों के प्रेषण में हुई औसत वृद्धि दर के अनुसार वृद्धि करते हुए प्रेषण की मात्रा निर्धारित की जायेगी।

नोट ≔ उपर्युक्त गणना तालिका में यद्यपि सुरक्षित जमा राशि को आधार बनाया गया है, तथापि बंदोबस्तवारी को वास्तविक बंदोबस्ती राशि तथा उक्त बंदोबस्ती राशि के आधार पर ही सभी देय करों का संगतान करना होगा।
17. बालू खनन की अधिकतम गहराई:—

(क) किसी रेखाएं पूल एवं राजगुरु / राष्ट्रीय उद्योग वाहन (SH/NH) के अन्तर्गत पूल से 300 मीटर तथा सामान्य पूल से 100 मीटर दोनों तरफ के क्षेत्र।

(ख) कोई नवीन रेखाएं पूल की सुरक्षा हेतु उक्त पूल के दक्षिण और 600 मीटर तथा उत्तर की ओर 300 मीटर क्षेत्र।

(ग) किसी भी सार्वजनिक स्थल या शमशान घाट / धार्मिक स्थल आदि से 50 मीटर दूरी तक का क्षेत्र।

(घ) नदी के दोनों किनारों से 5 मीटर का क्षेत्र छोड़कर ही बालू का खनन कार्य किया जायेगा।

(ङ) डैम / बीमर / सिंचाई हेतु निर्मित अन्य structure से upstream and downstream की ओर से 100 मीटर का क्षेत्र बालू खनन हेतु प्रतिबिधित है।

(च) बालू नियंत्रण तटबंधों से 46 मीटर दूरी तक का क्षेत्र। 46 मीटर से 61 मीटर तक का क्षेत्र में 1.80 मीटर गहराई तक तथा 61 मीटर से 91 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र में 2.40 मीटर तक की गहराई तक खनन अनुमानित होगा।

(झ) सिंचाई हेतु निर्मित आउटलेट के स्तर का सिर्फ बेड के स्तर के बराबर रखना होगा यानी रिसार बेड का स्तर आउटलेट के स्तर से पीछे कदापि नहीं होगा।

(ञ) इंजीनियरिंग बेड / इंजॉनेट बेद के चारों ओर बालू उत्खनन नहीं किया जायेगा। जिन नदियों से सिंचाई हेतु प्रवेश निश्चित है, उस क्षेत्र में स्थानीय जल संसाधन विभाग के अधिरूपण से अनावृत प्रमाण-पत्र प्राप्त कर बालू का उत्खनन किया जायेगा ताकि प्रवेश सिंचाई प्रणाली प्रभावित नहीं हो।

18. सामान्य शर्तें:—

(i) बन्दोबस्तीधारी को बालू के परिवहन हेतु बाहन के चालक को बालू लाइन ईंटखाल (परिवहन चालान) निर्मित करना होगा।

(ii) नदी से बालू निकाल कर नदी तट से 300 फीट अलग बालू भंडारण करने पर अलग से स्टॉकस्ट लाइसेंस लेना होगा।

(iii) नदी के तट से 1000 मीटर तक बन्दोबस्तीधारी को छोड़ किसी भी अन्य को बालू भंडारण करने हेतु स्टॉकस्ट लाइसेंस नहीं दिया जायेगा।

(iv) नदी से उत्सर्जित बालू के लिये विविध प्रणाली में प्रत्येक माह की मासिक विवरणी अनुलीख माह की 15 तारीख तक संरक्षित जिला खनन कार्यालय में दाखिल करना होगा।

(v) बालू के उपयोग एवं प्रयोग से लिये पंजी संशोधित करनी होगी।

(vi) नदी से बालू, निकालना/ प्रवेश के स्थल पर साइन बोर्ड लगाना होगा, जिसमें बन्दोबस्तीधारी का नाम-पता, बन्दोबस्ती अवधि, स्थानीय प्रबंधक का नाम-पता एवं विवरण मूल्य अंकित होगा।

(vii) बन्दोबस्तीधारी को बिहार लालू खनिज सम्मुद्र सिंचालन नियमावली, 1972/ बिहार लालू खनिज सम्मुद्र (संशोधन) नियमावली, 2014 के नियमों एवं शर्तों का पालन करना होगा।
(vii) श्रम कार्यों के प्राधिकारों के अनुसार बंदोबस्तधारी को श्रमिकों की सुविधा के लिये विश्राम शेड, पेय जल आदि की व्यवस्था करनी होगी।

(ix) बंदोबस्तधारी को क्षेत्र/क्षेत्रों का निरीक्षण एवं घाटों का संचालन स्वयं एवं प्राधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से करना होगा। नदी/ घाट से बालू के परिवहन हेतु मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा।

(x) यदि दो जिलों के सीमा क्षेत्र में कोई विवाद होता है तो इसके समाधान हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी संयुक्त रूप से निर्णय ले सकेंगे तथा इसकी सूचना विभाग को देंगे।

(xi) बालू के उत्खनन में सूचीबद्ध संयुक्त पेलेट तक जेतेसी0.50/पोकलेन का उपयोग प्रतिविधि रहेगा।

(xii) बालू से बाद रोशनी की समुच्छित व्यवस्था कर ही जेतेसी0.50/पोकलेन मशीन का प्रयोग किया जा सकता है। महिला श्रमिकों से सूची के बाद कोई कार्य नहीं लिया जाएगा।

(xiii) बालू लदे भरी वाहनों को तापमॉलिन से ढककर बालू का परिवहन करना अनिवार्य होगा।

(xiv) बंदोबस्तधारी को धर्मकोटा की स्थापना आवश्यकता नुसार सरकार के निर्देश पर करनी होगी।

(xv) खनन स्वामित्व/GST/आयकर/स्टाम्प डूब्ली/निकंद्रण शुल्क/अन्य करों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में बंदोबस्तधारी को 30 दिनों की कारणपूर्व नोटिस दी जाएगी तथा इसका अनुपालन निरंतर समय के अन्तर नहीं करने की स्थिति में उनकी बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

(xvi) बंदोबस्तधारी को समाहार द्वारा बालू वाहनों के संचालन के संबंध में जनरल में दिये गये अन्य निर्देशों का पालन करना होगा।

(xvii) उपयुक्त नित्यादर्श का पालन नहीं करने पर कारण पूर्व निर्णय कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेंगे।

(xviii) समाहारों को सरकार के हित में, सुनवाई का मौका देकर तर्कसंगत आदेश पासित करते हुये निविदा एवं बंदोबस्ती रद्द करने का अधिकार होगा।

(xix) खनिज की अनुसूचीतता, मार्ग व्यवस्था, सीमाना से संबंधित कोई व्यवहार अथवा अन्य अन्याय कारण से उल्लोकन में बाधा उतपन्न होने पर सरकार द्वारा कोई अवधारित देय नहीं होगा।

(xx) सफल निवितात्मक का विभागीय सूचीबद्ध संख्या—2887/एम0, दिनांक—22.07.2014 में उल्लेखित संचालन के नियम एवं शर्त यथा खनन योजना (माइनिंग प्लान), पर्यावरण स्वच्छता प्रणाली—पत्र (Environmental Clearance) एवं अन्य का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

***************
बंदोबस्ती हेतु बालूघाटों की विवरणी

जिला—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमांक</th>
<th>आवेदक का नाम एवं पता</th>
<th>जिला/समेकित इकाई का विवरण</th>
<th>सुरक्षित जमा राशि</th>
<th>अभियुक्त।</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम—

मोहर—
बालूघाट की बंदोबस्ती हेतु तकनीकी गिविदा का प्रपत्र
(गिविदा अपने लेटर-हेड अथवा साड़ा कागज का प्रयोग करें)

1. गिविदा दाता का नाम : 
(सामग्री या प्राइवेट लिट कम्पनी या फर्म के मामले में प्रबंधक/अधिवक्ता हस्ताक्षर करने वालो का नाम)

2. पिता का नाम : 
(सामग्री या प्राइवेट लिट कम्पनी या फर्म के सचिव /प्रबंधक /अधिवक्ता हस्ताक्षर करने वाले के पिता का नाम)

3. पत्राचार का पता :

4. स्थायी पता :

5. सम्पूर्ण हेतु दूरभाष संस राजपत्र का कार्यालय (आठ)

6. पैन कार्ड संख्या (कुछ रक्षेत्र प्रभावित छायाप्रति संलग्न करें)

7. सुसंगत अवधिनियम के अनुसार सामग्री/फर्म/प्राइवेट लिट कम्पनी का पंजीयन संख्या
(कुछ रक्षेत्र प्रभावित छायाप्रति संलग्न करें)

8. बकाया रहित प्रमाण-पत्र :
(कुछ रक्षेत्र प्रभावित छायाप्रति संलग्न करें) संबंधित जितने से व्यावसाय स्वाभाव प्रमाण पत्र तथा अन्य जितने के मामले में गोष्ट-पत्र/शपथ-पत्र।

9. Chartered Accountant द्वारा सत्यापित विमत्तीन वर्षों के Annual Accounts (Profit and Loss Account सहित) की रक्षेत्र प्रभावित प्रति संलग्न करें।

10. रक्षेत्र प्रभावित दो पासपोर्ट साइज़ फोटों :

11. GST निवेंदन प्रमाण-पत्र :

12. वित्तीय वर्ष 2016-17 का आयकर रिपोर्ट :

13. जिलाध्यात्मक/पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवश्यक प्रमाण-पत्र (रक्षेत्र प्रभावित छायाप्रति संलग्न करें)

14. सामग्री /फर्म/प्राइवेट लिट कम्पनी के मामले में अदतन अंकेक्षण रिपोर्ट
15. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/ उप नियम  
(प्रथम संलग्न करें)(व्यक्ति विशेष को छोड़कर अन्य 
के मामले में)

16. साझेदारी फर्म के मामले में साझेदारी दस्तावेज  
की स्वामित्वमानित छायाप्रति संलग्न करें।

17. जिला का नाम  

18. बालूघाट ईकाई का विवरण जिसके लिये  
निविदा दी गई है।

19. सुरक्षित जमा राशि  

20. अर्थव्यवस्था की राशि तथा उसका पूर्ण विवरण  
(Offline रिश्तित में)
   i. बैंक झुफ्ट संख्या—
   ii. निर्माता करने वाले बैंक एवं शाखा का नाम—
   iii. तिथि—
   iv. राशि—
   v. निविदादाता का बैंक खाता संख्या—

21. बैंक झुफ्ट निविदादाता के बैंक खाता से बने होने  
के संबंध में संबंधित बैंक द्वारा निर्मात प्रमाण—पत्र 
संलग्न करें

   तिथि—  
   नाम एवं हस्ताक्षर  

************